न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई.ए.एस.

प्रकरण सं 03/2011 अं.धा.14(4)

1. बाबूलाल पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी महेश्वरा कलां तहसील व जिला दौसा
.. प्रार्थी

बनाम्

1. ग्यारसीनाथ पुत्र रामसहाय जाति जोगी निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील व जिला दौसा
2. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष, उप जिला कलक्टर, दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी दौसा

....अप्रार्थीगण

उजरात अंतर्गत धारा 14 (4) विरुद्ध आवण्टन आदेश दिनांक 30.06.1989

बहक ग्यारसीनाथ

उपस्थितः–1.श्री रामकेश बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

दिनांकः 16.11.2021

निर्णय

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 30.06.89 को ग्राम महेश्वरा खुर्द के आ0ख0नं0 2515 रकबा 0.81 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी नं0 01 को कर दिया। इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि प्रश्नगत भूमि का जो आवंटन अप्रार्थी नं0 01 को किया गया है, इस भूमि पर उज्रदार का कब्जा काफी पुराना अरसा लगभग 30 वर्ष से चला आ रहा है। तथा वर्तमान में भी मौके पर उज्रदार का कब्जा है। उज्रदार प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्तकार है। उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाने में काफी पैसा खर्च किया। परन्तु ग्यारसीनाथ ने पटवारी हल्का व आवंटन कमेटी के सदस्यों से साज करके चुपचाप से आराजी खसरा नंबर 2515 रकबा 0.81है0 भूमि का दिनांक 30.06.1989 को आवंटन करा लिया। आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 30.6.1989 खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त योग्य है। भूमि आवंटन से पूर्व आवंटन संबंधी उदघोषणा भी नहीं हुई, इसलिय भी आवंटन नियम विरूद्ध है। आवंटन के समय भूमि खाली नहीं थी, बल्कि भूमि पर उज्रदार का कब्जा था। कानूनन खाली भूमि का ही आवंटन हो सकता था। आवंटन की कार्यवाही मजमें आम में नहीं हुई। आवंटन कमेटी का कोरम भी पूर्ण नहीं था। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आज तक काश्त नहीं की, जबकि आवंटन के पश्चात प्रथम वर्ष में आधी तथा द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि पर काश्त करना जरूरी था। परन्तु आवंटी ने आज तक भूमि पर काश्त नहीं की, न ही उसका आवंटित भूमि पर कब्जा रहा है। आवंटी ग्यारसीनाथ भूमिहीन भी नहीं है, जबकि उज्रदार अनुसूचित जाति का गरीब भूमिहीन व्यक्ति है। कानूनन भूमिहीन व्यक्ति को ही भूमि का आवंटन किया जा सकता है। आवंटी द्वारा आवंटन फार्म भी विधिवत रूप से नहीं भरा गया है। ना ही हल्फिया तस्दीक की गई है। इसलिए अपूर्ण फार्म के आधार पर किया गया आवंटन नियम विरूद्ध होने से नियम विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। पटवारी हल्का ने ग्यारसीनाथ का पुराना कब्जा होने की रिपोर्ट पेश नहीं की ना ही उदघोषणा करने बाबत कोई रिपोर्ट की। आवंटी ग्यारसीनाथ ने आवंटन की शर्तो की पालना नही की, जिसका प्रमाण यह है कि भूमि आज भी गैर खातेदारी में दर्ज है क्योंकि अप्रार्थी ग्यारसीनाथ ने कभी भी भूमि पर काश्त नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 30.6.1989 बहक ग्यारसीनाथ निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी ग्यारसीनाथ बाद तामील अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी ग्यारसीनाथ के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी ग्यारसीनाथ को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.6.1989 को ग्राम महेश्वराखुर्द स्थित आराजी खसरा नंबर 2515 रकबा 0.81 है. भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन योग्य थी, जिसका नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटी भूमिहीन है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कोरम पूर्ण होने पर प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया था। उज्रदार का यदि आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त रहा होता तो आवंटन के तत्काल बाद आवंटन निरस्त करने हेतु प्रा0पत्र 14(4) किया जाता। उज्रदार द्वारा भूमि आवंटन के 22 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने हेतु प्रा0पत्र पेश किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन फार्म भी पूर्ण भरा गया है। आवंटी को हैरान परेशान करने की गरज से उज्रदार द्वारा प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 पेश किया गया है। अतः प्रा0 पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम महेश्वरा खुर्द के आ0ख0नं0 2515 रकबा 0.81 है0 भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर दिनांक 30.6.1989 को आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात से आज दिनांक तक भूमि गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। उज्रदार द्वारा प्रश्नगत भूमि पर उज्रदार का कब्जा काश्त होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रश्नगत भूमि पर उज्रदार का कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। साथ ही आवंटन के लगभग 22 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने हेतु प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया है। 22 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने बाबत विलंब का कोई कारण अंकित नहीं किया है। बरवक्त आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण था। उज्रदार का यह कथन असत्य है कि आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं था। अतः प्रा0पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उज्रदार द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) खारिज किया जाता है। अप्रार्थी ग्यारासीनाथ को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन आदेश दिनांक 30.06.1989 यथावत रखा जाता हैं।. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 16.11.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा